न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 276/2016/223 आर टी ए

कौशल्या पुत्री मल्लूराम पत्नि रणसिंह जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र मल्लूराम जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुभाष पुत्र मल्लूराम जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सन्तरोदेवी पत्नि मल्लूराम जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमित्रा पुत्री मल्लूराम पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा हाल आबाद चमार खेड़ा तहसील उकलाना हिसार हरियाणा।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–––रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2001 न्यायालय सहायक कलैक्टर भादरा प्रकरण संख्या 122/2001 बअनवानी गौरीशंकर बनाम मल्लूराम आदि

उपस्थित :–

श्री प्रदीप भाटी अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–22.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया कि रोही मौजा भाड़ी के खाता सं. 155/152 मे खसरा नं. 260 की तादादी 0.01बीघा, खसरा नं. 261 की तादादी 28.11 बीघा, खसरा नं. 371 की तादादी 22.11 बीघा, खसरा नं. 373 की तादादी 43.07 बीघा, खसरा नं. 513/1 की तादादी 4.12 बीघा कुल तादादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

99.02 बीघा बारानी खातेदारी कृषि स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी मे मल्लूराम को शामिल करते हुए रामजस, फरसाराम, मल्लूराम, इन्द्राज पिसरान पूर्णराम व मु0 भूरी बेवा पूर्ण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि दादालाई भूमि है जो दादा पूर्ण से प्राप्त हुई है। जिसमे प्रतिवादी मल्लूराम का 1/5 हिस्सा दर्ज है, उसमे वादी/रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी मल्लूराम का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी/रेस्पो0 का स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टा ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करते समय बिना वस्तु स्थिति देखे एवं बिना वादी/रेस्पो0 व प्रतिवादी मल्लूराम की पारिवारिक स्थिति की जानकारी लिये बगैर उक्त निर्णय बहक वादी/रेस्पो0 सं. 1 इस आधार पर किया है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है एवं पैतृक सम्पति होने के नाते वादी/रेस्पो0 का जन्म से हक व हिस्सा है जबकि अपीलांटा एवं रेस्पो0 सं. 2, 3 व 4 का पारिवारिक सदस्य होने के नाते उक्त पैतृक भूमि मे विरासतन हिस्सा वादी के बराबर बनता है। रेस्पो0 सं. 2 सुभाष जो अपने पिता के जीवनकाल मे ही फौत हो गया का हिस्सा भी अपीलांटा व रेस्पो0 सं. 3 व 4 के हिस्सा मे समाहित होने के तथ्य छुपाते हुये वाद वादी डिक्री किया गया है जो विधि विरूद्ध है। मल्लूराम के द्वारा जो कि बीमार था, को वादी/रेस्पो0 सं. 1 ने विश्वास मे लेकर एवं मल्लूराम की अनपढ़ता का फायदा उठाकर दावा मे उसकी ओर से इकबालदावा इस आशय का प्रस्तुत करवाया है कि दावा वादी रेस्पो0 डिक्री करवाने मे आसानी हो जाये जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त पैतृक भूमि मे मल्लूराम के समस्त वारिसान का बराबर बराबर हक व हिस्सा बनता है। उक्त विधिक स्थिति का दुरूपयोग करते हुए न्यायालय को गुमराह कर वाद वादी डिक्री करवा लिया है। रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आधार पर आधा हिस्सा अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा लिया है व शेष बची भूमि मे भी विरासतन हिस्सा मिथ्या कथनो व भुलावे मे लेकर राजस्व रिकार्ड मे और दर्ज करवा लिया है जो अपीलांटा व रेस्पो0 सं. 3 व 4 के हको पर कुठाराघात है। अधिवक्ता अपीलांटा ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांटा जो कि एक विवाहित स्त्री है जो मात्र साक्षर है तथा बाहर रहने के कारण उक्त दावा के संबंध मे किसी प्रकार की जानकारी नही होने व पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2001 का ज्ञान नही होने के कारण ईल्म नही था। दिनांक 09.01.16 को पटवारी हल्का भाड़ी से सम्पर्क किया तब पता चला कि उक्त पैतृक भूमि के संबंध मे काफी हेरफेर वादी/रेस्पो0 सं. 1 द्वारा करवा लिया गया है। जिस पर अपीलांटा द्वारा उपखण्ड न्यायालय मे जाकर पता किया तो पता चला कि उक्त पैतृक भूमि रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपने नाम करवा ली है। अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे पक्षकार नही थी इसलिये अपीलांटा को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही रहा। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई जो कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे तथा कुल पैतृक भूमि मे वारिसानो पिता मल्लू व भाई सुभाष के हिस्सा की भूमि मे बराबर का हिस्सेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो जमाबंदी मे रामजस, फरसाराम, मल्लूराम, इन्द्राज पिसरान पूर्णराम व मु0 भूरी बेवा पूर्ण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी, के संबंध मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने पिता मल्लूराम के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुए मल्लूराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा मे 1/2 हिस्सा घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे मल्लूराम द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी/रेस्पो0 का स्वीकार किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांटा व रेस्पोडेंट के पिता/पति मल्लूराम के नाम दर्ज थी जो पैतृक भूमि है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पैतृक भूमि माना गया है, जिसमे अपीलांटा जो मल्लूराम की पुत्री के साथ साथ मल्लूराम के समस्त वारिसान का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित था। अपीलांटा एवं मल्लूराम के अन्य वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय के दावे पक्षकार नही बनाया गया। जबकि अपीलांटा व मल्लूराम समस्त वारिसान दावा मे आवश्यक पक्षकार थे। इस कारण अपीलांटा अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हो सका। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांटा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटा एवं मल्लूराम के समस्त वारिसान बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए मल्लूराम के समस्त वारिसान की जांच करने के उपरांत वारिसान के संबंध मे संतुष्टि करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ